(१([illegible])३)

ई–मेल/स्पीड पोस्ट से,

मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अन्तर्गत,म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग,मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र.**F.6-12/98/A-XI,** दिनांक 10.01.2007 से एवं माध्यस्थम और सूलह अधिनियम 1996 (1996 का संख्यांक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित।)

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।
विन्ध्याचल भवन, भोपाल

जावक क्रमांक 151 – 53

भोपाल, दिनांक 27/01/2020

प्रकरण क्रमांक एम.एस.ई.एफ.सी/751/2017

आवेदकः–

M/S Jay Prakash Paper Industries,
Partner; Sharad Gupta, 103, Sector B,
Sanwer Road, Industrial Area,
Indore-452015.

विरूद्ध

अनावेदकः–

1. M/s RBT Metal Forming Pvt. Ltd.,
Directors,
Berdary, Behind Arvindo Hospital,
Industrial Area, Sanwer Road,
Indore - 452 001

2. M/s RBT Metal Forming Pvt. Ltd.,
Mr. Thomas Baby, Director,
Berdary, Behind Arvindo Hospital,
Industrial Area, Sanwer Road,
Indore - 452 001

माध्यस्थम आदेश दिनांक :–27/11.2021

काउंसिल के समक्ष आवेदक M/S Jay Prakash Paper Industries, Indore द्वारा एमएमएमई एक्ट 2006 की धारा 20 सहपठित् धारा 30 के अधीन अनावेदक M M/s RBT Metal Forming Pvt. Ltd., Indore के विरूद्ध मूलधन राशि रूपये 2,66,132/– एवं इस राशि पर देयकवार अपाईन्टेड–डे दिनांक से दिनांक 10.02.2017 तक की ब्याज राशि रूपये 2,57,548/– तथा भुगतान दिनांक तक की ब्याज राशि की वसूली हेतु दावा आवेदन पत्र दिनांक 28.02.2017 को प्रस्तुत किया गया।

काउन्सिल द्वारा अनावेदक को उत्तर एवं सुलह प्रस्ताव प्रस्तुत करने एवं हेतु नोटिस क्रमांक 2244–46, दिनांक 12.04.2017 जारी किया गया एवं दिनांक 27.05.2017, 28.04.2018, एवं दिनांक 08.09.2020 को प्रकरण सुनवाई/सुलह हेतु नियत किया गया।

सुनवाई दिनांक 08.09.2020 को आवेदक श्री शरद गुप्ता दूरभाष पर उपस्थित। अनावेदक अनुपस्थित।

आवेदक ने काउंसिल को अवगत कराया कि, चूँकि अनावेदक से उन्हें भुगतान प्राप्त हो गया है। अतः वे प्रकरण वापस लेना चाहते हैं ।

..........2

काउंसिल ने आवेदक को लिखित में सहमति–पत्र देने हेतु कहा। सहमति–पत्र प्राप्त होने पर सुलह के आधार पर प्रकरण की कार्यवाही समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

प्रकरण में आवेदक द्वारा अवगत कराया कि प्रकरण में पूर्ण भुगतान प्राप्त हो गया है। आवेदक द्वारा प्रकरण समाप्त करने हेतु निवेदन किया गया।

अतएव, "म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017" के नियम–9 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रकरण में उभयपक्षों के मध्य उपरोक्तानुसार समझौता होकर, प्रकरण निराकृत होने से, एतद् द्वारा प्रकरण समाप्त किया जाता है।

उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

(विवेक पोरवाल)
उद्योग आयुक्त एवं
अध्यक्ष,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल।

(अनन्या विश्वास)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक प्रबंधक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भोपाल।

(सी. मिंज)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक प्रबंधक,
एमएसएमई विकास संस्थान, भोपाल।